

विद्युत नियम 19/4/21



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन 23353503, फेक्स 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in



76/टीडी/2021

दिनांक: 16.4.2021

सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

अल्टिलियम एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट सं.1303, पॉकेट-ए, द स्लियूक्स सीजीएचएस लि., प्लॉट सं.6, सैक्टर 19 बी, द्वारका, दिल्ली-110 075 में स्थित है, द्वारा संपूर्ण भारत में विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है।

2. अल्टिलियम एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड को अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए आवेदन की प्रति, उसके अनुबंधों और संलग्नकों के साथ, वेबसाइट www.altium.co.in से प्राप्त की जा सकती है या निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टि में आवेदक विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का पात्र है और आयोग ने दिनांक 15.4.2021 के आदेश द्वारा आवेदक को संपूर्ण भारत में विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. आयोग द्वारा यथा पूर्वोक्त विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव के प्रति सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हो, आमंत्रित करने के लिए अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में एतद द्वारा नोटिस दिया जाता है जिन्हें अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 3.5.2021 तक उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग अंतिम निपटान के लिए सही अनुक्रम में तारीख निर्धारित करेगा और वह व्यक्ति जिसने सुझाव या आपत्तियाँ दायर की हैं, अपने विवेक से सुनवाई में उपस्थित हो सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा किसी टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(सनोज कुमार झा)
सचिव